भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

06.08.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2865 का उत्तर

कन्नूर के निवासियों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र

2865. श्री के. सुधाकरन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रेल बफर ज़ोन क्षेत्रों, विशेषकर कन्नूर के निवासियों से, आवास निर्माण और सार्वजनिक अवसंरचना कार्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में होने वाली लंबी देरी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने के बाद भी, संबंधित रेलवे अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई या सूचना दिए बिना, एनओसी आवेदन कई महीनों तक लंबित रखे जाते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों को हुई कठिनाई पर ध्यान दिया है और यदि हाँ, तो इस तरह की देरी के कारण आवश्यक सार्वजनिक परियोजनाओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का रेल बफर ज़ोन में एनओसी आवेदनों के त्वरित निपटान के लिए एक समयबद्ध, पारदर्शी एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली शुरू करने का विचार है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): भारतीय रेल ने निर्माण अवधि के दौरान रेलगाड़ियों की संरक्षा सुनिश्चित करने, रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण और संपत्ति अधिकार किसी अन्य को न मिलने से रोकने के लिए, रेलवे के हितों की रक्षा करने हेतु रेल सीमा के 30 मीटर के भीतर भूमि पर सरकारी और निजी

भवनों के निर्माण/पुनर्विकास के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)' प्रदान करने की विस्तृत प्रक्रिया जारी की है।

संबंधित क्षेत्र का रेल मंडल एनओसी प्राप्त करने या सरकारी और निजी इमारतों के निर्माण/पुनर्विकास के लिए एकल खिड़की प्रणाली है।

रेलवे, राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि के स्पष्ट स्वामित्व, विस्तृत संरचना ड्राइंग, संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र आदि जैसे दस्तावेज़ों की जाँच के बाद, विधिवत रूप से अग्रेषित आवेदन पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की समय-सीमा 60 दिन रखी गई है। कभी-कभी आवेदकों द्वारा अधूरे दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र में देरी हो जाती है।

कन्नूर में पिछले पांच वर्षों में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नौ (09) आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से चार (04) मामले अनुमोदित कर दिए गए हैं और अन्य मामलों को आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अधूरी जानकारी के कारण या तो वापस कर दिया गया या खारिज कर दिया गया है।

*****